न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 32/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री आनन्द पाराशर पुत्र श्री बृजमोहन पाराशर (विक्रेता व पार्टनर विक्रेता फर्म), मैसर्स पाराशर ब्रदर्स, महावीर बाजार, बिजयनगर अजमेर
2. (पार्टनर विक्रेता फर्म) श्री सीताराम पुत्र श्री बृजमोहन पाराशर मैसर्स पाराशर ब्रदर्स, महावीर बाजार, बिजयनगर अजमेर
3. (पार्टनर विक्रेता फर्म) श्री गणेश पाराशर पुत्र श्री राम निरन्जन पाराशर मैसर्स पाराशर ब्रदर्स, महावीर बाजार, बिजयनगर अजमेर
4. (पार्टनर विक्रेता फर्म) श्रीमति माया देवी पत्नि श्री बृजमोहन पाराशर मैसर्स पाराशर ब्रदर्स, महावीर बाजार, बिजयनगर अजमेर
5. (पार्टनर विक्रेता फर्म) श्रीमति चन्दा देवी पत्नि श्री राम निरन्जन पाराशर मैसर्स पाराशर ब्रदर्स, महावीर बाजार, बिजयनगर अजमेर
6. मैसर्स पाराशर ब्रदर्स, महावीर बाजार, बिजयनगर अजमेर
7. (पार्टनर विक्रेता फर्म) श्री मनोहर लाल सिन्धी पुत्र श्री गोविन्द राम सिन्धी मैसर्स शंकर स्टोर्स, स्टेशन रोड़, भीलवाड़ा–311001
8. (पार्टनर विक्रेता फर्म) श्री गिरीश कुमार बदलानी पुत्र श्री गुलाब राय बदलानी, मैसर्स शंकर स्टोर्स, स्टेशन रोड़, भीलवाड़ा–311001
9. मैसर्स शंकर स्टोर्स, स्टेशन रोड़, भीलवाड़ा–311001
10. (नोमिनी निर्माता फर्म) श्री धर्मेन्द्र हन्सराज कोटक मैसर्स नेसले इण्डिया लिमिटेड C/o लक्ष्मी एजेन्सी, ई–168, रोड़ नं0 9 जे, वी0के0आई0 ऐरिया जयपुर–302013
11. (निर्माता फर्म) मैसर्स नेसले इण्डिया लिमिटेड, एम 5ए, कनॉट सर्कस, न्यू दिल्ली–110001

........*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित :

1– श्री अखिलेश गर्ग, वकील अप्रार्थीगण की ओर से।
2– श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक (नोमिनी) मै0 नेस्ले इण्डिया

–: आदेश :–

दिनांक– 05.02.2020

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

खाद्य सुरक्षा मापक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मापक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने सब स्टेण्डर्ड Sweetened condensed partly skimmed milk (Nestle Milkmaid) का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट, रेफरल लेब से प्राप्त जांच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 03.03.2015 को 02.45 पी.एम. पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स पाराशर ब्रदर्स, महावीर बाजार, बिजयनगर अजमेर पर पहूँचे श्री आनन्द पाराशर पुत्र श्री बृजमोहन पाराशर मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को Sweetened condensed partly skimmed milk (Nestle Milkmaid) का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान में 400–400 ग्राम के टिन कन्टेनर Sweetened condensed partly skimmed milk (Nestle Milkmaid) के आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। इनमें मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर उनमे से 4 टिन कन्टेनर पैक नमूना जॉच हेतु खरीदे एवं राशि रूपये 420/– रूपयें श्री आनन्द पाराशर पुत्र श्री बृजमोहन पाराशर को नगद देकर गवाहान के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री आनन्द पाराशर पुत्र श्री बृजमोहन पाराशर को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने के पश्चात खरीदशुदा Sweetened condensed partly skimmed milk (Nestle Milkmaid) के 400–400 ग्राम के 4 पैक में से 1–1 पैकेट धागे से बांधकर चार नमूने पैकेट बनाये व तैयार किये गये लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना पैकेट पर गोंद से चिपकाया। चारों नमूना पैकेट को अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर किनारों को गोंद से चिपकाकर डीओ के कोड क्रमांक ए–948 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही कर प्रत्येक भाग को धागे से बांधा एवं सील चपड़ी लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप से होते हुए रेपर पेपर तक विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते में लिया एवं कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी से

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा माणक प्रयोगशाला, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/3983 दिनांक 08.04.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एल.एस. /158/एक्ट/2015/177 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Sweetened condensed partly skimmed milk (Nestle Milkmaid) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया। उक्त पत्र के जवाब में अप्रार्थी द्वारा फॉर्म 8 में अपील एवं पुनः जांच हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट रूपये 1000/— का दिनांक 28.04.20105 को जमा करवाया। इस सम्बन्ध में रेफरल लेबोरेट्री की रिपोर्ट संख्या 338/जून/15—आरएजे दिनांक 01.06.2015 से प्राप्त हुई। जिसमें Sweetened condensed partly skimmed milk (Nestle Milkmaid) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान हेतु मैसर्स पाराशर ब्रदर्स, महावीर बाजार, बिजयनगर अजमेर से पत्रांक 104—105 दिनांक 31.03.2015 द्वारा खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं क्रय बिल की प्रति चाही गई। फर्म द्वारा प्रस्तुत खाद्य रजि0 पत्र रजि0 नंबर 08320150678, अनुज्ञा पत्र नं0 12214009000654 एवं क्रय बिल दिनांक 31.01.2015 की छायाप्रति पेश की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान हेतु मैसर्स शंकर स्टोर्स, स्टेशन रोड़, भीलवाड़ा—311001 से पत्रांक 214—215 दिनांक 01.07.2015 द्वारा खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं क्रय बिल की प्रति चाही गई। फर्म द्वारा प्रस्तुत खाद्य रजि0 पत्र रजि0 नंबर 08681001946, अनुज्ञा पत्र नं0 12215016000071 एवं क्रय बिल दिनांक 28.01.2015 की छायाप्रति पेश की गई। मैसर्स नेसले इण्डिया लिमिटेड C/o लक्ष्मी एजेन्सी, ई—168, रोड़ नं0 9 जे, वी0के0आई0 ऐरिया जयपुर—302013 से पत्रांक 51 दिनांक 20.01.2016 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, डायरेक्टर, नोमिनी आई.डी., पार्टनर व वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन की प्रति चाही गई। उन्होने प्रतिउत्तर में नोमिनी फॉर्म नं0 9, खाद्य अनुज्ञा पत्र सहित अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जिसमें श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक (नोमिनी) Nestle India Limited C/o M/s Laxmi Agencies, E – 168 Road No. 9J VKI Area Jaipur 302013 का होना पाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 29.02.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। परिवादी/प्रार्थी वरवक्त बहस अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की ओर से जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थी संख्या 10 व 11 ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि उनके द्वारा

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। उनके द्वारा निर्मित व विक्रित खाद्य पदार्थ Sweetened condensed partly skimmed milk (Nestle Milkmaid) निर्देशित मानकों के अनुसार ही बनाया गया है तथा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में सबस्टैण्डर्ड होने का आरोप मिथ्या है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27(2) के समस्त खण्डों और इसके अधीन बनाये गये नियमों विनियमों का उल्लंघन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है। अतः उनको आरोप मुक्त किया जाकर प्रकरण निरस्त किया जावे अथवा विकल्प में शून्य जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप फरमाया जावे। उन्होने अपने कथनों के समर्थन में The Food Safety and Standards Act 2006 के Section 3(P) प्रस्तुत किये। उन्होने आगे कथन किया कि खाद्य विश्लेशक ने उनके खाद्य पदार्थ Sweetened condensed partly skimmed milk (Nestle Milkmaid) को अवमानक माना है। जबकि दोनों विश्लेषकों द्वारा प्रस्तुत की गई नमूना जांच रिपोर्ट में भिन्नता पाई गई है।

वकील अप्रार्थी संख्या 10 व 11 ने आगे कथन किया कि उक्त वाद में नमूना संख्या ए–948 की जांच खाद्य विश्लेशक अजमेर एवं रेफरल लेबोरेट्री के द्वारा की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(पी) में वर्णित खाद्य प्रयोगशाला की परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि – "food laboratory" means any food laboratory or institute established by the Central or State Government or any other agency and accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or an equivalent accreditation agency and recognized by the Food Authority under section 43. खाद्य विश्लेषक द्वारा जिस लेबोरेट्री में खाद्य नमूने का विश्लेषण किया गया है, वह मात्र एक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला है जो न तो NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) द्वारा मान्यता प्राप्त है और न ही FSSAI द्वारा अधिसूचित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.07.2011 की जिस एडवाईजरी का उल्लेख अपने कथन में किया है, उसे माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1688/2015 में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2015 द्वारा त्रुटिपूर्ण माना जाकर खारिज किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र दिनांक 12.04.2012 अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 2006 की धारा 43 के अन्तर्गत विश्लेषण किये जाने वाले खाद्य नमूने की विश्लेषण रिपोर्ट पर NABL का लोगो होना अनिवार्य है, जबकि उक्त विश्लेषण रिपोर्ट न तो NABL प्रयोगशाला में तैयार की गई एवं न ही उस पर NABL का लोगो है। भारत का राजपत्र में दिनांक 01.04.2015 से 17.08.2018 तक प्रकाशित NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) की सूची एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.04.2012 से 17.08.2018 तक की सूची में उक्त प्रयोगशाला का नाम नहीं है। खाद्य सुरक्षा अपीलीय प्राधिकरण राजस्थान, जयपुर द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत 2019 (1) FAC 294 में स्पष्ट है कि जो प्रयोशालायें NABL अथवा खाद्य प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके द्वारा जारी की जाने वाली विश्लेषण रिपोर्ट को प्रमाणित नहीं माना जायेगा। इसी सम्बन्ध में उन्होने हमारा ध्यान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढवाल (उत्तराखण्ड) द्वारा वाद संख्या

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

512/2015 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2018 की ओर आकर्षित किया जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि – "इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये प्रयोगशाला का तात्पर्य ऐसी प्रयोगशाला से है जिसे नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड के द्वारा अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की गई हो तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त नमूनों का परीक्षण उन्ही प्रयोगशालाओं के द्वारा किया जायेगा जो प्रयोगशाला अधिनियम की धारा 43 में नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड के द्वारा प्रत्याहित की गई हों।" उन्होने आगे कथन किया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र संख्या File no. 10/QA/RTI(44)/FSSAI/2016 दिनांक 16.12.2016 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत जवाब के बिन्दु संख्या 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि रेफरल लेबोरेट्री गाजियाबाद NABL द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। अन्त में उन्होने कथन किया कि इस प्रकार अप्रार्थीगण पर लगाये गये समस्त आरोप बेबुनियाद व निराधार होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त खाद्य उत्पाद सबस्टैण्डर्ड नहीं है। अतः प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद/प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण को मामले में दोषमुक्त किया जावे।

हमने प्रस्तुत परिवाद/प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य उत्पाद Sweetened condensed partly skimmed milk (Nestle Milkmaid) की निर्मात्री कम्पनी नेस्ले इण्डिया लिमिटेड के प्राधिकृत वितरक हैं एवं सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ बिल/कैशमीमो द्वारा ही क्रय विक्रय किया जाता है। खाद्य विश्लेषकों द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ Sweetened condensed partly skimmed milk (Nestle Milkmaid) की जांच FSSAI की धारा 3(P) के अनुसार विश्लेषण नहीं किया गया है। साथ ही खाद्य विश्लेषक अजमेर एवं रेफरल लेबोरेट्री गाजियाबाद द्वारा प्रस्तुत नमूना जांच रिपोर्ट में भी भिन्नता/विरोधाभास पाया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परिवादी/प्रार्थी पक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 26 एवं 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियमावली 2011 को साबित करने में असफल रहे हैं। खाद्य विश्लेषकों की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण एवं साबित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस निरस्त करते हुए प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Sharma
Date: 2020.02.19 10:56:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: